फॉर्म / Form-I

पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) का जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र कार्यालय का नाम: अंचल - मसौढी, अनुमंडल - मसौढ़ी, जिला - पटना, बिहार

आवेदन पत्र संख्या : BCCCO/2019/192345 आवेदन की तिथि : 30/07/2019

1. आवेदन का प्रकार / Application Type : ऑनलाइन / Online

2. आवेदिका का नाम (Name of Applicant) : प्रीति कुमारी (Priti Kumari)

3. लिंग / Gender : स्त्री / Female

4. पिता का नाम (Name of Father) : बिपिन बिहारी सिंह (Bipin Bihari Singh)

5. पति का नाम (Name of Husband)

6. माता का नाम (Name of Mother) : रीता देवी (Rita Devi)

7. आवेदिका का मोबाइल संख्या / Mobile No. of Appplicant :

8. आवेदिका का ईमेल / Email of Applicant

9. राज्य / State : बिहार / Bihar 10. जिला / District : ਪਟना / PATNA

11. अनुमंडल / Sub-Division : मसौढ़ी / MASAURHI

12. प्रखंड / Block : मसौढी / MASAURHI

13. ग्राम (Village) / मोहल्ला (Town) : उसमानचक
 14. ग्राम पंचायत / वार्ड संख्या (Ward No.) : निशियावां
 15. डाकघर / Post Office : उसमानचक

16. थाना / Police Station : मसौढ़ी थाना /MASAURHI THANA

17. व्यवसाय / Business : छात्र / Student
18. वर्ग / Category : पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2)

19. जाति / Caste (अनुक्रमांक / Serial No.) : Kurmi / कुर्मी (35)

20. उपजाति / Sub-Caste (अनुक्रमांक / Serial No.)

फॉर्म / Form-V स्वयं शपथ पत्र (जाति प्रमाण पत्र हेतु)

मैं प्रीति कुमारी, पिता बिपिन बिहारी सिंह, माता रीता देवी, ग्राम / मोहल्ला - उसमानचक, ग्राम पंचायत - निशियावां , डाकघर - उसमानचक, थाना -मसौढ़ी थाना, प्रखंड -मसौढी, अनुमंडल - मसौढ़ी, जिला - पटना, राज्य - बिहार एतद् द्वारा निम्नांकित शपथ लेती हूँ कि: -

में Kurmi / कुर्मी जाति से संबंध रखती हूँ जो पिछड़ा वर्ग (अनुसूची -2) के अंतर्गत आता है |

में प्रमाणित करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची -2) के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करती हूँ | यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य / गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानती हूँ कि इस आवेदन-पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण-पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश / लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी / दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण-पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा / लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरूद्ध की जाने वाली कार्रवाई के लिए मैं उत्तरदायी रहाँगी।